न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 01/2022

उनवान

1. पूरणमल बेनीवाल पुत्र श्री प्रभू उम्र 56 वर्ष जाति रैगर निवासी शिवकालोनी ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत टोडी उपतहसील मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

2. बाबूलाल पुत्र गणेश उम्र 59 वर्ष जाति रैगर निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

3. बिदामी पुत्री गणेश पत्नि रामप्रताप उम्र 69 वर्ष जाति रैगर निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम उदपुरिया तहसील चौमू जिला जयपुर (राज.)

4. कोयली पुत्री गणेश पत्नि प्रभू उम्र 66 वर्ष जाति रैगर निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी भांगडोली तहसील थानागाजी जिला अलवर (राज.)

5. सुप्यार पुत्री गणेश पत्नि मोतीलाल नोगिया उम्र 58 वर्ष जाति रैगर निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी लूनियावास जिला जयपुर (राज.)

6. जसोदा पुत्री गणेश पत्नि लक्ष्मीनारायण गहनोलिया उम्र वर्ष 54 जाति रैगर निवासी बंगालियो की कच्ची बस्ती बगराना के पास, जयपुर हाल निवासी घाटगेट जिला जयपुर (राज.)

7. सुगना पुत्री गणेश पत्नि भगवानसहाय उम्र 43 वर्ष निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर (राज)

रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 377, दिनांक 27.01.2017, ग्राम टोडी पंयायत टोडी, उपतहसील मनोहरपुर तह. शाहपुरा (जयपुर)

निर्णय दि० 08/07/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है यह है कि आराजी ख. नं. 5631 रकबा 0.37 है. वाकै ग्राम टोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। इस उक्त खसरा नम्बर 5631 रकबा 0.37 है. ग्राम टोडी की भूमि का हिस्सा 6/8 भाग की कृषि भूमि के खातेदारान प्रत्यर्थीगण सं. 1 लगा. 6 ने दिनांक 14.06.2016 को अपीलार्थी को मुबलिग 5,00,000/– अक्षरे पांच लाख रु के बदले विक्रय कर मय खातेदारी हक हकूक सहित मय सूल बोल पानी पूला बुहारि सहित विक्रय कर दिया है। कब्जा मौके पर जाकर क्रेता अपीलार्थी को सम्भला

(कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

दिया है। क्रेता अपीलार्थी से प्रत्यर्थीगण ने रकम बिचौती की सम्पूर्ण राशी नगद प्राप्त कर ली थी। विक्रेतागण प्रत्यर्थीगण ने क्रेता अपीलार्थी को विक्रीत भूमि का अपने समान स्वामी एवं काबिजदार बना दिया दिया था। विक्रेता प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध विक्रीत भूमि पर कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि कोई आपत्ति उठाये या कोई बकाया निकले, तो उसका चुकारा प्रत्यर्थीगण विक्रेतागण ने स्वयं अपने आप करने का स्वीकार किया है तथा स्वामित्व में कोई त्रुटि होवेगी तो उस सब का विक्रेतागण, प्रत्यर्थीगण जिम्मेवार रहेगा तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी क्रेता का नाम अंकन कराने में बयानादि पूर्ण सहयोग करेगे, यह सब विक्रय पत्र में स्वीकार किया है। विक्रय पत्र उपपंजीयक मनोहरपुर कार्यालय मनोहरपुर (शाहपुरा) जयपुर में दिनांक 15.06.2016 को पंजीयन कराया है इस विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अमल/अंकन करने का नामान्तकरण सं. 377 दिनांक 1.08.2016 को पटवारी हल्का ने दर्ज कर आई. एल. आर. के समक्ष पेश किया जिसे आई. एल. आर. ने जांच कर सही होने की रिपोर्ट दिनांक 08.08.2016 को की है। इस नामान्तकरण को सरपंच ग्राम पंचायत टोडी पंचायत समिति शाहपुरा जयपुर ने विधि विपरीत रुप में बिना किसी आधार के दिनांक 27.01.2017 को खारिज कर दिया। जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गई। अपीलार्थी पटवारी हल्का से जब भी जानकारी चाहता तो वह यह कह कर टालता रहा कि नामान्करण स्वीकार होने बाबत् मुझे टाईम मिलेगा जब रिकार्ड देखकर जानकारी दूंगा। अपीलार्थी को हमेशा वह टालमटोल करते हुये टालता रहा। दिनांक 08.04.2022 को अपीलार्थी ने पटवारी के पास जाकर नामान्तकरण की जानकारी व नकल भी देने के लिए कहा व पटवार घर के बाहर बैठ गया तो पटवार हल्का ने नामान्तकरण सं. 377 की नकल दी जिसे देखने पर अपीलार्थी को पता चला कि सरपंच ग्राम पंचायत टोडी ने अपीलार्थी की खरीदशुदा भूमि के राजस्व रिकार्ड में अकंन करने के नामान्तकरण को बिना किसी कारण के विधि विपरीत खारिज कर दिया है। उक्त नामान्तकरण सं. 377 दिनांक 27.01.2017 माननीय सरपंच ग्राम पंचायत टोडी तहसील शाहपुरा के विरुद्ध अपील निम्नलिखित आधारो पर पेश है निर्णय नामान्तकरण सं. 377 दि. 27.01.2017 माननीय सरपंच ग्राम पंचायत टोडी तहसील शाहपुरा गलत, गैरकानूनी, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों कि विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। माननीय सरपंच ग्राम पंचायत टोडी तहसील शाहपुरा ने अपने निर्णय दि. 27.01.2017 के निर्णय को बिना किसी आधार के निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय दिनांक 27.01.202017 में ग्राम टोडी खसरा नं. 5631 को कोई उल्लेख नही है अपितु तथा कथित निर्णय में अस्वीकृत कर अहम तथ्य सम्बन्धि भूल की है इस कारण नामान्तकरण सं. 377 दि. 27.01.2017 निरस्तनीय है। माननीय सरपंच ग्राम पंचायत टोडी तहसील शाहपुरा के अपीलाधीन आराजी का बिना किसी आधार के अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर अपने निर्णय दि. 27.01.2017 द्वारा नामान्तकरण सं. 377 अस्वीकृत कर अहम कानूनी भूल की है इस कारण उक्त निर्णय दि. 27.01.2017 बाबत नामान्तकरण सं. 377 निरस्तनीय है। माननीय सरपंच ग्राम पंचायत टोडी तहसील शाहपुरा ने तथाकथित निर्णय दि. 27.01.2017 के सम्बन्ध मे बिना किसी कार्यवाही तथा कार्यवाही में बिना कोई आदेश पारित किये ही अपीलाधीन निर्णय दि. 27.01.2017 पारित कर अहम कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है तथाकथित निर्णय दि. 27.01.2017 का है जिसकी कानूनी रुप में राजस्व रिकार्ड में अंकन के लिए स्वीकार किया जाना जरुरी था, जिसकी सीमाओं से बाहर जाकर निर्णय गलत रुप पारित किया है जो गैरकानूनी होने से निरस्तनीय है। माननीय पटवारी हल्का ने नामान्तकरण सं. 377 दिनांक 1.08.2016 सही रुप में अंकन/दर्ज कर आइ. एल. आर. से जांच करवा कर दिनांक 8.08.2016 को ग्राम पंचायत की मिटिंग में बिना पेश, ही सरपंच ग्राम पंचायत ने बिना किसी कारण ग्राम पंचायत के बिना किसी विस्तृत निर्णय के मात्र 'अस्वीकृत शब्द अकिंत कर अपने हस्ताक्षर कर दिये। ग्राम पंचायत ने कोई निर्णय पारित नहीं किया। ग्राम पंचायत के निर्णय के बिना सरपंच द्वारा अंकित शब्द 'अस्वीकृत' स्वतः अपने आप ही शून्य प्रभावी है अतः नामान्करण

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

सं. 377 पर पारित निर्णय दिनांक 27.01.2017 निरस्तनीय है। निर्णय दि. 27.01.2017 बाबत नामान्तकरण सं. 377 मान्य सरपंच ग्राम पंचायत टोडी तहसील शाहपुरा, शाहपुरा स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता है इस कारण भी उक्त नामान्तकरण सं. 377 पर अंकित / वर्णित "अस्वीकृत" आदेश दि. 27.01.2017 निरस्त किये जाने योग्य है। यह नामान्तकरण सं. 377 दिनांक 27.01.2017 को देखने से यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि नामान्तकरण पर निर्णय 'स्वीकृत' ही था जिसका जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में अमल हो गया है जिसे बाद में कभी किसी आपराधिक कृत्य से 'स्वीकृत' निर्णय के प्रारम्भ में 'अ' अक्षर जोडकर निर्णय को परिवर्तित कर दिया गया है जो अपने आप में आपराधिक गलत कृत्य है इस कारण भी नामान्तकरण सं. 377 दिनांक 27.01.2017 निरस्तनीय है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व में नहीं रही है अभी कुछ दिन पूर्व दिनांक 08.04.2022 को पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने एंव नकल मिलनें पर दि. 08.04.2022 को नकल प्राप्त कर खर्चे का इन्तजाम कर कानूनी सलाह प्राप्त कर अपील पेश करने में हुई देरी को धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त देरी को **condon** (क्षमा) फरमायी जाकर अन्दर मियाद अपील ट्रीट करने की आज्ञा फरमायी जाने योग्य है।

अतः अपील मय शपथ पत्र मय मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर अपीलार्थी प्रार्थी है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 27.01.2017 बाबत नामान्तकरण सं. 377 ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला तहसील शाहपुरा एवं उससे ततसम्बन्धित आदेश दि. 27.01.2017 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 09.05.2024 को रेस्पोडेण्ट सं0 01 लगायत 07 की तामिल जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से हो चुकी है जो बाद तामिल व सूचना के उपस्थित नही जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में पत्रावली में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कहा कि आराजी ख. नं. 5631 रकबा 0.37 है. वाकै ग्राम टोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 5631 रकबा 0.37 है. ग्राम टोडी की भूमि का हिस्सा 6/8 भाग की कृषि भूमि के खातेदारान प्रत्यर्थीगण सं. 1 लगा. 6 ने दिनांक 14.06.2016 को अपीलार्थी को मुबलिग 5,00,000/– अक्षरे पांच लाख रु के बदले विक्रय कर दिया है। विक्रय पत्र उपपंजीयक कार्यालय मनोहरपुर शाहपुरा जयपुर में दिनांक 15.06.2016 को पंजीयन कराया है इस विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अमल/अंकन करने का नामान्तकरण सं. 377 दिनांक 1.08.2016 को पटवारी हल्का ने दर्ज कर आई. एल. आर. के समक्ष पेश किया जिसे आई. एल. आर. ने जांच कर सही होने की रिपोर्ट दिनांक 08.08.2016 को की है। इस नामान्तकरण को सरपंच ग्राम पंचायत टोडी पंचायत समिति शाहपुरा जयपुर ने विधि विपरीत रुप में बिना किसी आधार के दिनांक 27.01.2017 को खारिज कर दिया। वकील अपीलाण्ट ने निर्णय दि. 27.01.2017 बाबत नामान्तकरण सं. 377 सरपंच ग्राम पंचायत टोडी तहसील शाहपुरा को निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, जमाबंदी, विकय पत्र का अवलोकन किया गया। वकील अपीलाण्ट द्वारा पेश दस्तावेजो से स्पष्ट होता है कि नामान्तरण सं0 377 दिनांक निर्णय दिनांक 27.01.2017 के निर्णय को बिना किसी आधार के निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय दि0 27.01.2017 में ग्राम टोडी ख0 न0 5631 को कोई उल्लेख नही है अपितु कथित निर्णय में अस्वीकृत कर अहम तथ्य संबंधी भूल की है एवं पटवारी हल्का ने नामान्तकरण सं. 377 दिनांक 1.08.2016 सही रुप में अंकन/दर्ज कर आइ. एल. आर. से जांच करवा कर दिनांक 8.08.2016 को ग्राम पंचायत की मिटिंग में बिना पेश, ही सरपंच ग्राम पंचायत ने बिना किसी कारण ग्राम पंचायत के बिना किसी विस्तृत निर्णय के मात्र 'अस्वीकृत शब्द अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर दिये। ग्राम पंचायत ने कोई निर्णय पारित नहीं किया। ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

पंचायत के निर्णय के बिना सरपंच द्वारा अंकित शब्द 'अस्वीकृत' स्वतः अपने आप ही शून्य प्रभावी है। इस कारण नामान्तकरण निरस्त किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत टोडी, प0स0 शाहपुरा के द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 377 दिनांक 27.01.2017 को निरस्त/अपास्त किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तथा कथित नामान्तकरण में प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नियमानुसार तथा कथित नामान्तरण की जांच करे एवं विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार तहसील शाहपुरा को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण का 30 दिवस में नियमानुसार निस्तारण कर पालना से अवगत करावे। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को तहरीर जारी हो, तथा प्रभावित पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष निर्धारित समयावधि में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के जरिये आवश्यक रूप से उपस्थित होकर प्रकरण में प्रभावी पैरवी करे।

निर्णय आज दिनांक 8/7/24 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर-ग्रामीण

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान